I/334019/2023

अत्यावश्यक

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.प.-I), राजस्थान जयपुर
कार्यालय महालेखाकार (ले.प.-II), राजस्थान जयपुर
कार्यालय महानिदेशक (केन्द्रीय), अहमदाबाद शाखा कार्यालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशा-।।/ले.प.I/CAG/2023-24 दिनांक:21-07-2023

परिपत्र

-

विषय :- केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतन वृद्धि (Date of Next Increment) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण I

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-21/2017-IC/E-III A दिनांक 28.11.2019 के पैरा 7 के अनुसरण में ऐसे कार्मिकों, जिन्हें दिनांक 01.01.2016 को या इसके बाद नियमित पदोन्नति या कोई वित्तीय उन्नियन प्रदान किया गया था एवं जो मूल नियम 22(1)(a)(i) के तहत वेतन निर्धारण के लिए 01 माह के अन्दर विकल्प/पुनः विकल्प देने के इच्छुक थे, को उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.11.2019 के जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर विकल्प/पुनः विकल्प देने का अवसर प्रदान किया गया था I

उसके बाद कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.11.2019 के पैरा 7 के अनुसरण में पुनः वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.04.2021 के माध्यम से वेतन निर्धारण के लिए एक दूसरा अवसर 03 माह के अन्दर विकल्प/पुनः विकल्प देने के लिए प्रदान किया गया था I

अब भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-21/2017-IC/E-III A दिनांक 04.07.2023 द्वारा पूर्व कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.11.2019 के पैरा 7 के अनुसरण में वेतन निर्धारण के लिए उक्त कार्यालय ज्ञापन की दिनांक से 03 माह के अन्दर विकल्प/पुनः विकल्प देने के लिए एक और अवसर प्रदान किया गया है I साथ ही सूचित किया है कि इसके बाद भविष्य में इस प्रकार का वेतन निर्धारण विकल्प/पुनः विकल्प चयन के लिए कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा I

अतः **जो कार्मिक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28.11.2019, 15.04,2021 के माध्यम से प्रदान किये गए पूर्व अवसरों में वेतन निर्धारण का विकल्प नही दे पाए थे,** उन्हें भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4-21/2017-IC/E-III A दिनांक 04.07.2023 के अनुसरण में दिनांक 01.01.2016 को या इसके बाद नियमित पदोन्नति

I/334019/2023

या वित्तीय उन्नयन होने की दशा में मूल नियम 22(1)(a)(i) के तहत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प/पुनः विकल्प चयन के लिए एक ओर अवसर प्रदान किया जा रहा है । **अत: ऐसे सभी कार्मिकों को अपना यह विकल्प संलग्न प्रारूप में वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन जारी होने की दिनांक से 3 माह के भीतर अर्थात 03.10.2023 तक प्रशासन-II अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा ।**

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कार्मिको द्वारा ऐसा दिया गया विकल्प अब अंतिम माना जावेगा और भविष्य में किसी भी परिस्थिति में विकल्प/पुनः विकल्प चयन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार नही किया जावेगा ।

यह व्.उपमहालेखाकार महोदया द्वारा अनुमोदित है ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार ।

SITA RAM SHARMA

वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी /प्रशासन -II

प्रतिलिपि:

1. सभी समूह अधिकारी
2. सभी नियंत्रक अनुभागो को इस अनुरोध के साथ कि परिपत्र की विषय वस्तु को सभी सम्बंधित कार्मिको को ध्यान में लाया जावे ।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ EDP (ले.प.-I, ले.प.-II एवं DGA C) को कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ GD (ले.प.-I, ले.प.-II एवं DGA C) को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

SITA RAM SHARMA

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशासन-II

OPTION FOR PAY-FIXATION

I.....Designation.....was drawing pay Rs..... w.e.f..... in the **Level-.....**

I hereby opt for fixation of pay on granting of Promotion to the post of .....w.e.f. .....**or** granting the benefit of financial up gradation(NFU/1st MACPS/2nd MACPS/3rd MACPS) w.e.f..... in accordance to Rule 13 of CCS(Revised) Pay Rules, 2016 read with Office Memorandum No. 13/02/2017-Estt. (Pay-I) dated 27th July, 2017 of GoI, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Deptt. Of Personnel & Training, New Delhi on the dates mentioned below:-

(A) My pay may be fixed under FR 22(I) (a) (1) w.e.f..... **(Opted from Date of Promotion)**

(B) My pay may be fixed under saving proviso below FR 22(I) (a) (1) w.e.f.....

And under FR 22(I) (a) (1) w.e.f.....
(Opted from Date of Next increment)

Dated:-

Signature.....

Name.....

Designation.....

Section.....

Office.....

Contact No. .....

(Date of Next Increment fixed as per Rule-10 of CCS (RP) Rules, 2016 **for Option (A)** except benefit granted on 01 July or 01 Jan. DNI fixed in pursuance of Office Memorandum No. 4-21/2017-IC/E.IIIA Dated 28.11.2019 of Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi for **Option (B) and benefit granted on 01 Jan or 01 July**)